WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–१, फतेहपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–२८८३ सन २०२१

यू०पी०एफ०टी०–०१००५४२४२०२१

मो० उमर गौतम उम्र लगभग ४५ साल पुत्र धनराज सिंह गौतम निवासी के–४७, चतुर्थ तल, बटला हाउस थाना जामिया नगर, जनपद दक्षिणी दिल्ली, राज्य नई दिल्ली।

................आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश

.........................अभियोजक

अ०सं०–५५८/२०२१
धारा–५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१)
उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन
प्रतिषेध अधिनियम, २०२१
थाना–कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

<u>१०.०२.२०२२</u>

आवेदक/अभियुक्त मो० उमर गौतम की ओर से अपराध संख्या–५५८/२०२१, अन्तर्गत धारा–५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, २०२१, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर के मामले में उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि प्रार्थिनी दिनांक ०१.०५.२०१९ से १९.०३.२०२१ तक नूरूल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षण कार्य किया था, जिसके प्रबन्धक मौलाना उमर शरीफ महाजरी हैं। इस विद्यालय में हिन्दू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है तथा नमाज पढ़ाई जाती है। कुछ बच्चों के मना करने पर उन्हें या लोभ दिया जाता है या डराया जाता है। मौलाना उमर शरीफ महाजरी के इस्लाम धर्म प्रचारक मौलाना उमर गौतम निवासी पंथुवा से अच्छे सम्बन्ध हैं। वर्ष २०२० में होली से पहले शीतकालीन अवकाश के दिनों में मौलाना उमर गौतम इस्लाम धर्म की शिक्षा देने नूरूल हुदा स्कूल आया था। उस समय विद्यालय में बच्चों की छुट्टी थी। विद्यालय में हिन्दू शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को इकट्ठा करके मौलाना उमर गौतम, मौलाना उमर शरीफ महाजरी तथा मो० उमैर शरीफ ने सभी हिन्दू शिक्षिकाओं को हिन्दू देवी देवताओं को अपमानित करते हुये व घृणित शब्दों का प्रयोग करते हुये सभी को इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया तथा अच्छी सुविधाओं के

WWW.LIVELAW.IN
साथ विदेश भेजने तथा काफी रुपया देने का लालच दिया। उक्त विद्यालय में हिन्दू बच्चों को इस्लाम धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। पहले तो उपरोक्त लोग प्रार्थिनी को इस्लाम धर्म कबूल करने तथा ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते हुये, परन्तु उसके न मानने पर मौलाना उमर शरीफ महाजरी ने उसे नौकरी से निकाल दिया तथा वेतन भी नहीं दिया। उसने कोतवाली में वेतन न देने का मुकदमा लिखवा दिया है। उक्त विद्यालय में फतेहपुर शहर के तथा बाहरी लोग भारी संख्या में आते रहते हैं। अब प्रार्थिनी को अज्ञात लोगों को भेजकर मौलाना उमर शरीफ महाजरी जान से मानने की धमकी दिलवा रहे हैं।

थाना कोतवाली फतेहपुर के अपराध संख्या–५५८/२०२१, अन्तर्गत धारा–५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, २०२१ में निरुद्ध अभियुक्त मो० उमर गौतम की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–४३९ दं०प्र०सं० दाखिल कर जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में दर्शित किए गये तथ्य, परिस्थितियों एवं आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है। शपथपत्र अभियुक्त की पत्नी रजिया उमर की ओर से दाखिल कर यह कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत आवेदन है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदक निर्दोष है, उसे वादी द्वारा झूठे और मनमाने तौर पर बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के दुराशय से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के आशय से फँसाया गया है। अ०सं०–५५८/२०२१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट २५.०८.२०२१ को १६.३५ बजे कोतवाली फतेहपुर में अन्तर्गत धारा–५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, २०२१ आवेदक एवं दो अन्य के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। सम्पूर्ण प्राथमिकी गलत एवं मनगढ़न्त है तथा दुराशय से रचा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट १८ माह के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सामान्य अभियोग आवेदक के विरुद्ध लगाया गया है। अन्य किसी अध्यापक या व्यक्ति द्वारा आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तथ्यात्मक रूप से वादिनी नूरूल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल फतेहपुर में अध्यापक है, जहाँ पर प्रशासनिक और कुछ ऐसे आधार जो दर्शित नहीं किए जा सकते, के आधार पर संस्थान के प्रबन्धक द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। आवेदक तथा नूरूल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल के बीच विवाद का बहाना लेकर प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट अपमानित करने व परेशान करने के आशय से तथा धन का दोहन करने के आशय से दर्ज करायी है। वास्तव में नूरूल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल फतेहपुर में वादिनी शिक्षक से कभी भी आवेदक नहीं मिला है। प्रथम

WWW.LIVELAW.IN
सूचना रिपोर्ट गलत अभिकथनों के आधार पर वादिनी द्वारा करायी गयी है, जो स्वयं परिवाद से स्पष्ट है। विद्यालय नोबल कोरोना वायरस के कारण मार्च २०२० से कार्यरत नहीं है, ऐसी दशा में स्कूल में मीटिंग के लिए इकट्ठा होने का कथन स्वतः गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि कथित अभियोग वर्ष २०२० के प्रारम्भ होने के समय में कारित किया जाना कहा गया है, जब कि उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम २७.११.२०२० को प्रभाव में आया, जिसका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र धार्मिक स्टीरियोटाइप कथन पर बिना किसी साक्ष्य पर आधारित है। धारा–५०६ भा०दं०सं० का अपराध मौलाना उमर शरीफ महाजरी सहअभियुक्त के विरुद्ध कारित करना कहा गया है। सम्पूर्णतः धारा–५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, २०२१ का अभियोग आवेदक के विरुद्ध नहीं बनता। आवेदक/अभियुक्त दिनांक २०.०६.२०२१ से जेल में निरुद्ध है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास मात्र अ०सं०–०९/२०२१ थाना ए०टी०एस० गोमती नगर के अलावा नहीं है। उक्त के अलावा आवेदक की ओर से स्टेट आफ राजस्थान जयपुर बनाम बालचन्द्र १९७७(४) एस०सी०सी० ३०८, अर्नव रंजन गोस्वामी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य २०२०(१४) एस०सी०सी० १२ का उल्लेख करते हुये यह कथन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत आधारभूत सिद्धान्त है, न कि जेल। उक्त के अलावा अशोक सागर बनाम स्टेट २०१८ एस०सी०सी० आन लाइन देल्ही ९५४८, पी०चितम्बरम बनाम निदेशालय प्रवर्तन २०१९ एस०सी०सी० आनलाइन सुप्रीम कोर्ट १५४९ के विनिश्चय तथा संजय चन्द्रा बनाम सी०बी०आई० (२०१२) एस०सी०सी० ४० के विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख किय गया है। आवेदक की ओर से यह कथन किया गया है कि कोई भी आरोपित अभिकथन के समर्थन में स्वीकृत साक्ष्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदक समाज के मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्धित है तथा अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य है। आवेदक का पता पूर्ण रूप से ज्ञात है तथा यदि जमानत पर अवमुक्त होता है तो पलायित होने का कोई अन्देशा नहीं है, न ही साक्षियों को धमकाने का ही प्रश्न है, क्योंकि आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। आवेदक न्यायालय की संतुष्ट पर प्रतिभू दाखिल करने को तैयार है। निकट भविष्य में विचारण पूर्ण होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है। अपने जमानत प्रार्थनापत्र के

WWW.LIVELAW.IN
समर्थन में जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा माननीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति तथा उपजिलाधिकारी सदर फतेहपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर फतेहपुर, अभियोजन अधिकारी फतेहपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी फतेहपुर की संयुक्त जांच आख्या जो जिलाधिकारी फतेहपुर को प्रेषित की गयी है, की छायाप्रति दाखिल की गयी है तथा महिपाल सिंह बनाम सी०बी०आई व अन्य २०१४ एस०सी०सी० २८२ के विनिश्चय की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आशय का मत व्यक्त किया है कि दाण्डिक विधि के अधीन कोई कार्य अपराध की श्रेणी में आने के लिए यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि जिस तिथि को अपराध कारित किया गया है, वह अपराध के रूप में वर्णित हो, क्योंकि अनुच्छेद २०(१) भारतीय संविधान किसी कार्य का विधि के अधीन अपराध होने को ही दोषसिद्धि अनुमन्य करता है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि आवेदक/अभियुक्त विद्यालय में पूर्व में आता जाता रहता था और प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की तिथि ०१.०५.२०१९से १९.०३.२०२१ अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि यह लगातार जारी रहने वाला अपराध है और अभियुक्त द्वारा वादिनी एवं अन्य हिन्दू बच्चों को प्रलोभन व लालच देकर बलात धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया, जो गम्भीर अपराध है तथा अभियुक्त के विरुद्ध जनपद लखनऊ में अ०सं०–०९/२१ आतंगवादी विरोधी दस्ता द्वारा दर्ज है तथा एक अन्य अपराध गुजरात में दर्ज है। उपरोक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं जमानत प्रार्थनापत्र तथा अवर न्यायालय की पत्रावली एवं मूल धारा–१६४ दं०प्र०सं० के बयान का सम्यक परिशीलन किया।

अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि कोतवाली फतेहपुर द्वारा अभियुक्तगण मौलाना उमर गौतम, मौलाना उमर शरीफ महाजरी तथा मो० उमैर शरीफ के विरुद्ध जुर्म मौलाना उमर शरीफ महाजरी तथा मो० उमैर शरीफ के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा–२९५ए, ५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, २०२१ के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक २०.११.२०२१ को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त मो० उमर गौतम तथा सहअभियुक्त मौलना

WWW.LIVELAW.IN

उमर शरीफ महाजरी तथा मो० उमैर शरीफ के विरुद्ध मात्र धारा–५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, २०२० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया है और अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र भी अन्तर्गत धारा–५०६ भा०दं०सं० व ३/५(१) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, २०२१ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी ने यह कथन किया है कि ''*वर्ष २०२० में होली से पहले शीतकालीन अवकाश के दिनों में मौलाना उमर गौतम इस्लाम धर्म की शिक्षा देने नूरूल हुदा स्कूल आया था। उस समय बच्चों की छुट्टी थी। विद्यालय में हिन्दू शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को इकट्ठा करके मौलाना उमर गौतम, मौलाना उमर शरीफ महाजरी तथा मो० उमैर शरीफ ने हम सभी हिन्दू शिक्षिकाओं को हिन्दू देवी देवताओं को अपमानित करते हुये व घृणित शब्दों का प्रयोग करते हुये, हम सभी को इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया तथा अच्छी सुविधाओं के साथ विदेश भेजने तथा काफी रुपया देने का लालच दिया था।*'' उक्त से स्पष्ट है कि वादिनी जो नूरूल हुदा स्कूल में शिक्षण का कार्य ०१.०५.२०१९ से १९.०३.२०२१ तक की थी, को तथ अन्य शिक्षिकाओं को वर्ष २०२० में होली से पहले इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने एवं लालच देने का अभियोग है। वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं०प्र०सं० में फरवरी–मार्च २०२० में मौलाना उमर गौतम, मौलाना उमर शरीफ महाजरी द्वारा वादिनी व अन्य हिन्दू अध्यापकों को इस्लाम धर्म कबूल करने के बाबत प्रयास करने का कथन किया है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि माह फरवरी व मार्च २०२० में वादिनी को अभियुक्त द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने हेतु प्रयास जरिए लालच किया गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट को १८ माह विलम्ब से दर्ज कराया जाना कहा गया है। प्रश्नगत मामले की घटना की तिथि फरवरी मार्च २०२० होना अंकित है और प्रथम सूचना रिपोर्ट २५.०८.२०२१ को दर्ज करायी गयी है, जब कि वादिनी एक शिक्षिका है, जो पढ़ी लिखी है और उसके घर से थाना कोतवाली की दूरी लगभग तीन किलोमीटर है और वह पूर्व में अभियोग पंजीकृत करा चुकी है तथा विलम्ब के बाबत कोई स्पष्टीकरण भी नहीं उल्लिखित किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कथित घटना २०२० की है, जब कि उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम २०२१ का है, जो २७.११.२०२० से अध्यादेश के रूप में लागू हुआ है। इसलिए अभियोजित अपराध नहीं बनता है। यह सही है कि अनुच्छेद २०(१) भारतीय संविधान यह उपबन्धित करता है कि कोई व्यक्ति किसी

WWW.LIVELAW.IN
अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसके ऐसा कोई कार्य करने के समय अपराध के रूप में परिवर्तित न हो। प्रश्नगत मामले में उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश २७ नवम्बर, २०२० को लागू हुआ है तथा अधिनियम को उसी दिनांक से लागू हुआ, समझे जाने का उल्लेख है। इस प्रकार माह फरवरी/मार्च में अभियुक्त/आवेदक का कृत्य अपराध के रूप में उपबन्धित होना नहीं प्रतीत होता है। प्रश्नगत मामलें में अभियुक्त की किसी दोषसिद्धि का आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक २०.०६.२०२१ से कारागार में निरुद्ध है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि वादिनी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी शिकायत की थी, जिसमें जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा ६ सदस्यीय कमेटी गठित कर प्रकरण की जांच करायी गयी, जिसमें कोई अभियोग नहीं पाया गया और आरोप की पुष्टि न होना दर्शित करते हुये जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। उक्त तथ्य पर अभियोजन की ओर से मात्र यह कथन किया गया कि विवेचक द्वारा उक्त रिपोर्ट को साक्ष्य में संकलित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय के विचार से सशर्त जमानत का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। परिणामतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त मो० उमर गौतम द्वारा मु० १,००,०००/– (एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र, इसी धनराशि की दो सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाए–

१. अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएगा।
२. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।
३. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
४. उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय विधिनुरुप कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(राजेन्द्र सिंह चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१, फतेहपुर।